भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 106993

11 JAN 20

ट्रस्टडीड

प्रारम्भिक धनराशिः— 51,000/—रूपये

स्टाम्प शुल्कः— 1,150/—रूपये

हम कि **भोपाल सिंह** पुत्र श्री राजाराम व **श्रीमति हरबीरी देवी** पत्नी श्री भोपाल सिंह निवासी 137, भोपा रोड दक्षिणी – नई मण्डी, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर के हैं जो कि हमारी इच्छा काफी समय से शिक्षा, स्वास्थ व चिकित्सा के क्षेत्र मे कार्य करने तथा समाज के विभिन्न वर्गो के लिये उच्चस्तरीय शिक्षा संस्थान स्थापित करने की रही है अतः हम स्वेच्छा से अंकन 51,000/—रू0 (इक्यावन हजार रूपये मात्र) की प्रारम्भिक पूंजी जो कि ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी से एक ट्रस्ट की घोषणा व स्थापना करते है जिसे सिद्धान्त, स्वरूप व संचालन आदि के लिये निम्नलिखित प्रकार से मर्यादित व व्यवस्थित किया जाता है।

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

12

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-1-10
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन 22-2515
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता भोपाल सिंह पु० राजाराम निवासी 137 भोपा रोड दक्षिणी मु०नगर
स्टाम्प की धनराशि 1150-00

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

1000×1 = 1000-00
50×3 = 150-00
1150-00

51,000.00	510.00	20	530.00	80
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती भोपाल सिंह
पुत्र / पत्नी श्री राजाराम
पेशा सेवानिवृत
निवासी स्थायी 137, भोपा रोड दक्षिणी, नई मण्डी मु0नगर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/1/2010 समय 1:23PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

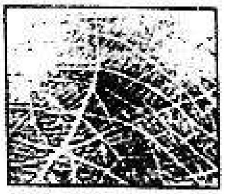

ऋषिकेश पाण्डेय
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
19/1/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

श्री/श्रीमती भोपाल सिंह
पुत्र/पत्नी श्री राजाराम
पेशा सेवानिवृत
निवासी 137, भोपा रोड दक्षिणी, नई मण्डी मु0नगर

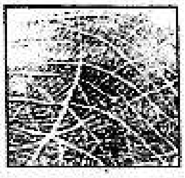

श्री/श्रीमती हरबीरी देवी
पुत्र/पत्नी श्री भोपाल सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी 137, भोपा रोड दक्षिणी, नई मण्डी मु0नगर

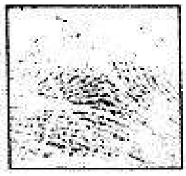

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 549017

1. नाम :– ट्रस्ट का नाम "**गौरव मैमोरियल सोसियल ट्रस्ट** " होगा।

2. कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :– ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय " 137, भोपारोड मुजफ्फरनगर मे रहेगा। ट्रस्ट के हित में लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण भी किया जा सकता है। भविश्य में ट्रस्ट के शाखा कार्यालय विभिन्न स्थानो पर स्थापित किये जा सकते हैं। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र पूरा भारत वर्श रहेगा।

3. उद्देश्य:– इस ट्रस्ट के स्वरूप में प्रत्युपकार, निर्पक्ष, सार्वजनिक हित व सार्वकालिक एवं सर्वोतोन्मुखी शैक्षणिक विकास के साथ स्वास्थ व चिकित्सा की उच्च दृश्टि विद्यमान है। अतः

(अ) सम्पूर्ण भारत वर्श में शिक्षा की सेवा ही इसका प्रथम उद्देश्य है तथा उसमें कोई जाति, वर्ण व लिंग भेद–भाव, आदि नहीं किया जायेगा।

(आ) विश्वविद्यालय, स्थानीय शासन, प्रादेशिक व केन्द्रीय एजेन्सी से सम्बद्ध प्राथमिक/उच्च/उच्चतर शिक्षण संस्थान स्थापित कर उच्च कोटि की आधुनिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करना।

13 स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-1-10
स्टाम्प की धनराशि 50
क्रमिक नम्बर 12 किया गया।

नरेन्द्र कुमार शर्मा (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाइसेंस सं. 8
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2011

अरविन्द कुमार शर्मा
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मनोज कुमार शमार
पुत्र श्री चमन लाल शर्मा
पेशा कृषि
निवासी महरायपुर परगना पुरछपार मु0नगर
व श्री सुरेश कुमार शर्मा एड0
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी तह0 सदर मु0नगर
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

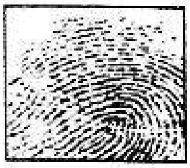

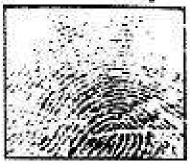

ऋषिकेश पाण्डेय
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
19/1/2010

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 549018

(इ) मानव कल्याण व मानवाधिकार की रक्षा के लिये योग विद्या, वेदाध्ययन, योग व मैडीटशन सम्बन्धी अनुसंधान व उसके समस्त लाभ के लिये उसकी कक्षायें चलाना व उनकी उपयोगिता को प्रचारित करना एवं समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो के लिये प्रौद्योगिकी केन्द्र, प्रौढ शिक्षा व समानता के सिद्धान्त से निःशुल्क उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना तथा स्कूल व कॉलेज सम्बन्धी व उनके विशयो को पढाना व आ रही समस्याओं का समाधान करके उनकी शिक्षण व्यवस्था कराना।

(ई) ट्रस्ट के आधीन चलने वाली व अन्य सामाजिक संस्थाओ के माध्यम से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र छात्रो के लिये छात्रवषत्ति प्रदान करना तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं व सामाजिक कार्यक्षेत्र में देशकाल व पात्रता व परिस्थिति के अनुसार आर्थिक सहयोग प्रदान करना व समध्द बनाना।

14

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-1-10

स्टाम्प की धनराशि 502

शामिल 12

(स्टाम्प विक्रेता)

तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

लाईसेन्स सं. 8

लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

न्यासी

Registration No.: 7 Year : 2010 Book No. : 4

0101 भोपाल सिंह

राजाराम

137, भोपा रोड दक्षिणी, नई मण्डी मु0नगर

सेवानिवृत

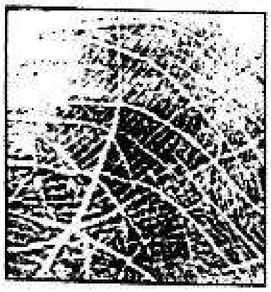

0102 हरबीरी देवी

भोपाल सिंह

137, भोपा रोड दक्षिणी, नई मण्डी मु0नगर

गृहिणी

(उ) तकनीकी, गैर तकनीकी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा के लिये स्कूल, उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी उच्च महाविद्यालय, उच्चतर प्रौद्योगिकी विद्यालय व कॉलेज व वाचनालय की स्थापना करना। सैद्धान्तिक व प्रयोगात्मक कक्षाओं को चलाना व उनका प्रचार व प्रसार करना तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान व उससे सम्बन्धित कार्यक्षेत्रों को देखना व उन पर आवश्यक निर्णय लेना व समाज के कल्याणार्थ सेवायें प्रदान करना।

(ऊ) उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति व सामाजिक उत्थान के लिये पुस्तकालय व चिकित्सालय स्थापित करना, विभिन्न समाचार व पत्रिकाओ की व्यवस्था करना उनका प्रकाशन कराना व सारी व्यवस्थायें चलाना।

(ए) सद्विवेक उद्बोधन प्रक्रियायें आस्था केन्द्र स्थापित करना तथा मानवता के प्रति रूचि जागष्त करना।

(ऐ) शिक्षा क्षेत्र एवं संस्था की स्थिति को सुदष्ढ करने वाली राश्ट्र उपयोगी योजनायें संचालित करना।

(च) रोजगारोन्मुख कार्यों के अन्तर्गत प्रशिक्षित पुरूषों/महिलाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराने हेतु जिला, राज्य, राश्ट्रीय स्तर पर सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।

(छ) अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम ग्रामीण वाचनालय/पुस्तकोलय, बागबाडी/आंगनबाडी संचालन, वैकल्पिक उर्जा के कार्यक्रम, कौशल विकास के शिविर, शैक्षणिक भ्रमण, कानूनी सलाह आदि कार्यो का संचालन करना।

(ज) महिलाओं एवं पुरूशों में नियमित खेलकूद की भावना जागष्त करना एवं वैदिक संस्कष्ति को जन--जन के बीच पहुंचाने हेतु सांस्कष्तिक प्रतियोगितायें, नाट्य शिविरों एवं योग शिविरों आदि का आयोजन करना।

(झ) राश्ट्रीय विकास कार्यों में भागीदारी हेतु प्रतिरक्षा अभियान, परिवार कल्याण, जनसंख्या शिक्षा, श्रमदान एवं स्थानीय योजनाओं के प्रति जानकारी एवं जनचेतना उत्पन्न करना।

(ण) सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु संस्था द्वारा बाल विवाह, नशाखोरी, दहेजप्रथा आदि के बारे में गोश्ठियों का आयोजन।

(य) पर्यावरण संरक्षण हेतु पेडों की सुरक्षा, वक्षारोपण, धूम्ररहित चूल्हे एवं सोलर कूकर का प्रचार प्रसार, सुलभ शौचालयों का निर्माण, वध्द्धावस्था आश्रम का निर्माण, विकलांग आश्रम, अनाथ आश्रम, कुश्ठ आश्रम का निर्माण एवं स्वच्छ पेयजल योजना तथा प्राकृतिक आपदा से पीड़ितो की सहायता एवं कार्यो के लिये योजना आदि बनाकर कार्यक्रम संचालित करना तथा अस्पताल व अस्थाई चिकित्सा कैम्प लगवाना।

(र) ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा, उच्च शिक्षा व निम्न शिक्षा के लिये शिक्षा पीठ/विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है तथा उच्च व उच्चतर शिक्षा के प्रसार के लिये तथा उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिये विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित नई तकनीकी व बेसिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था कराने के लिये उनके कोर्सो की फ्रेंचाई ले सकेगा तथा लक्ष्य की उपलब्धि की दर्षिट से अपने पाठ्यक्रम की परीक्षायें भी आयोजित कर सकेगा। राजकीय स्वीकर्षति एवं मान्यता एतदर्थ प्राप्त कर सकता है।

4. सम्पत्ति :— संस्थापको द्वारा प्रदत्त अंकन 51,000/— रूपये ट्रस्ट की प्राथमिक सम्पत्ति है। इस राशि से या अन्य प्रकार सें भविश्य में जिस चल व अचल सम्पत्ति की वर्षद्धि होगी, वह भी ट्रस्ट की सम्पत्ति कही जायेगी। यह वर्षद्धि ट्रस्ट के उद्देष्य प्राप्त करने के लिये क्रय व विक्रय से, ब्याज, चंदे, किराये, उपहार, अनुदान शुल्क या ऋण आदि के द्वारा व सशर्त निधि के द्वारा सहमति से प्राप्त की जा सकती है। सम्पत्ति व आय, ट्रस्ट द्वारा बनाये गये उपनियमों के अन्तर्गत उद्देश्यो के अनुसार ट्रस्टियों के बहुमत से उनके विवेकानुसार लाभार्थियों पर व्यय की जायेगी। अचल सम्पत्ति का दर्षिटकोण भी चल सम्पत्ति जैसा माना जायेगा।

5. ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षालयों व संस्थानो की संचालन व्यवस्था इसी ट्रस्ट के द्वारा सीधे की जायेगी अथवा ट्रस्ट उनके लिये समितियां भी नियुक्त कर सकेगा तथा उन समितियों के अधिकार व कर्तव्य व नियम आदि भी निर्धारित करेगा। समिति के पदाधिकारी ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे।

6. ट्रस्ट का संचालन :— ट्रस्ट की समग्र व्यवस्था तथा संचालन के लिये एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज होगा जिसमे अधिकतम 21 व न्यूनतम 7 ट्रस्टी होंगे। इस ट्रस्ट द्वारा प्रथमतः मनोनीत सभी ट्रस्टी आजीवन ट्रस्टी होगें प्रन्तु यदि ट्रस्टी चाहें तो बहुमत से निर्णय लेकर अन्य आजीवन ट्रस्टी बनाये जा सकते है। प्रथम बोर्ड आफ ट्रस्टीज निम्न प्रकार होगा जिसमे कुल सात ट्रस्टी निम्न प्रकार होंगे जिन्होने अपनी स्वीकृति सहर्श प्रदान कर दी है।

(1) श्री महावीर सिंह राठी पुत्र गिरधारी सिंह निवासी 484, सिविल लाईन उत्तरी मुजफ्फरनगर — अध्यक्ष।

(2) श्री भगवत सिंह यादव पुत्र श्री देवी सिंह निवासी 878, एस. डी० कालेज स्टाफ क्वाटर्स भोपा रोड दक्षिणी – जिला मुजफ्फरनगर — उपाध्यक्ष

(3) श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री भोपाल सिह निवासी 137, भोपारोड दक्षिणी मुजफ्फरनगर — मंत्री

(4) श्री डा० रीता सिंह पत्नी श्री निरंजन सिंह निवासी 137, भोपारोड दक्षिणी मुजफ्फरनगर — कोषाध्यक्ष।

(5) श्री सौरभ पुत्र श्री निरंजन सिंह निवासी 137, भोपारोड दक्षिणी मुजफ्फरनगर - सदस्य

(6) बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरत सिह निवासी ग्राम गडवाड़ा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर — सदस्य

(7) श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री नाहर सिह निवासी ग्राम जटमुझेड़ा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर — सदस्य

7. ट्रस्टी दो प्रकार के होंगे – आजीवन ट्रस्टी व साधारण ट्रस्टी। संस्थापको द्वारा नियुक्त सभी ट्रस्टी आजीवन ट्रस्टी होंगे। आजीवन ट्रस्टी द्वारा नियुक्त आजीवन ट्रस्टी भी मनोनीत ट्रस्टी की तरह आजीवन ट्रस्टी माने जायेंगे। शेष नियुक्त ट्रस्टी साधारण ट्रस्टी होंगे। आजीवन ट्रस्टीयों को छोडकर सभी ट्रस्टीयों के अधिकार व कर्तव्य सामान्य होंगे और उनका कार्य ट्रस्ट की व्यवस्था व संचालन मे आजीवन ट्रस्टीयों का हाथ बंटाना होगा।

8. ट्रस्टी का कार्यकाल – आजीवन ट्रस्टीयों के अतिरिक्त अन्य सभी ट्रस्टीयों का कार्यकाल तीन वर्श का रहेगा। आजीवन ट्रस्टीयों की सहमति से साधारण ट्रस्टीयों का कार्यकाल बढाया जा सकता है तथा नये ट्रस्टी नियुक्त किये जा सकते हैं।

9. बैठकों का प्रधान तथा उनका संचालक क्रमशः अध्यक्ष व मंत्री होगें। यदि अध्यक्ष किसी कारण से बैठक की अध्यक्षता करने मे असमर्थ है तो उस दशा में अध्यक्ष के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता, उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

10. ट्रस्ट व उसके द्वारा स्थापित संस्थायो व विभिन्न कार्यो के सफल संचालन के लिये आजीवन ट्रस्टी अपने विवेक से समिति / उप समिति का गठन कर सकते है तथा उसे भंग कर सकते है। नियुक्त समिति अपने कार्य के लिये सीधे तौर पर मुख्य आजीवन ट्रस्टीयों के प्रति जबाबदेह होगी।

11. बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक मे उपस्थित ट्रस्टीज का बहुमत का मत मान्य होगा।

12. सभी प्रकार के ट्रस्टी अथवा समिति के सदस्यो की अहर्यता निम्न कारणो से समाप्त मानी जायेगी।

(अ) सदस्य के पागल होने पर।
(आ) त्यागपत्र स्वीकार होने पर।
(इ) न्यायालय द्वारा किसी भी अनैतिक कार्य के लिये दोषी पाये जाने पर।
(ई) न्यायलय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर।
(उ) ट्रस्ट के उदेद्श्यो के विपरीत कार्य करने पर अथवा ऐसी गतिविधियो मे सक्रिय पाये जाने पर।

13. ट्रस्ट व समितियो के सभी निर्णयों को क्रियान्वित करने व कराने का दायित्व मंत्री का होगा। मंत्री ही व्यवस्थापक माना जायेगा और वह अपने सहयोग के लिये वैतनिक / अवैतनिक सहायक रख सकेगा। वेतन का निर्धारण बैठक में ट्रस्ट के उपलब्ध संसाधनों व पात्रता के आधार पर होगा। यदि कोई ट्रस्टी तकनीकी या शिक्षा सम्बन्धी या सम्बन्धित उद्देश्यों की प्राप्ति में ट्रस्ट के लिये अतिरिक्त समय देता है और उसका हर्जा होता है तो उस दशा में आजीवन ट्रस्टी अपने विशेशाधिकार से उसे कार्य के बदले उचित पारिश्रमिक दे सकते है परन्तु उसके लिये ट्रस्टी के पास विशेष योग्यता होना आवश्यक है।

14. ट्रस्ट की संचालन व्यवस्था कार्यकलाप व गतिविधियों के लिये उद्देश्यों के संदर्भ में भारतीय संविधान के अन्तर्गत व देशकाल के अनुरूप नियम व उपनियम बनाने, उनमें परिवर्तन का कार्य आजीवन ट्रस्टी सहमति से करेंगे।

15. ट्रस्ट कोई व्यवसायिक कार्य ट्रस्ट के हित में देश काल , पात्र , परिस्थितियों के अनुसार कर सकता है।

16. ट्रस्ट की आय व व्यय का पूरा ब्योरा रखने की जिम्मदारी कोषाध्यक्ष की होगी।

17. ट्रस्ट की धनराशि को सार्वजनिक बैंकों में जमा कराया जायेगा तथा अन्य प्रतिभूतियों में भी रखा जा सकता है। सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत, जैसा समयानुसार आवश्यक हो, ट्रस्ट के लिये,, धन की व्यवस्था व लेन-देन आजीवन ट्रस्टी अपने विवेक से करेंगे। **जो भी धनराशि जहाँ जमा होगी उसे अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष मे से कोई दो पदाधिकारी अपने संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाल सकेंगे।**

18. ट्रस्ट की धनराशि किसी विश्वविद्यालय, औद्योगिक संस्था या फर्म आदि में ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार यदि उचित हो तथा उनका विनियोजन करना आवश्यक हो तो ऐसा किया जा सकता है। आजीवन ट्रस्टी अपनी सहमति के बहुमत से ऐसा कर सकेंगे।

19. ट्रस्ट द्वारा संचालित/स्थापित विद्यालय को निम्न लिखित क्रमांक 1 से 8 के प्राविधान स्वीकार होंगे। जिनमे शासन की पूर्व अनुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

    1. ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी एवं ट्रस्ट का समय समय पर आवश्यक्ता अनुसार नवीनीकरण कराया जायेगा।

    2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

    3. विद्यालय मे कम से कम 10 : स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चो के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद /बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/काऊन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5. संस्था के शिक्षण और शिक्षणोत्तर कर्मचारियो का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो कें कम वेतनमान तथा भत्ते नही दिये जायेंगे।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेंगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमान्य है सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निंगत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

8. विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकओं मे रखा जायेगा।

20. किसी कारणवश ट्रस्टीगण इस निश्कर्श पर पहुंचे कि ट्रस्ट की संचालन व व्यवस्था में ट्रस्टीगण व आजीवन ट्रस्टीगण कारगर नहीं हो पा रहे हैं अथवा कोई अपनी मजबूरी हो अथवा कोई कानूनन स्थिति बने उस दशा में स्थायी न्यासियों व उस समय के न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वे इस ट्रस्ट को सक्रिय व योग्य व्यक्ति को उप ट्रस्टी बनाकर एक निश्चित समय के लिये कार्य चलवायें।

21. किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होने पर या आजीवन न्यासियों की सहमति व अन्य न्यासियों की राय के अनुसार मुख्य ट्रस्टी/ न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वे ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट के हित मे , ट्रस्ट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये विक्रय कर सकते है, किराये पर दे सकते है अथवा उसका तबादला कर सकते है अथवा उसे खाली करा सकते है। यदि आवश्यक हो विनियोजित व स्थायी सम्पत्ति का विक्रय किया भी किया जा सकेगा। आजीवन ट्रस्टी की बहुमत की सहमति से ट्रस्ट के उदेदश्यों के लिये भूमि भवन आदि अचल सम्पत्ति कभी भी क्रय विक्रय की जा सकती

है अथवा बैंक आदि मे बंधक की जा सकती है। सम्पत्ति क्रय करने की दशा मे किसी एक आजीवन ट्रस्टी के हस्ताक्षर प्रर्याप्त होंगे प्ररन्तु विक्रय अथवा बंधककी स्थिति मे सचिव तथा एक अन्य नामित आजीवन ट्रस्टी के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

22. यदि धारा –3 में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति किसी कारणवश नहीं की जा सकती और उसका आगे क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नहीं रह गया है और ट्रस्टी (संस्थापक) उद्देश्य की प्राप्ति में समय नहीं दे रहे हैं अथवा कोष के संसाधन समाप्त हो गये हैं और मामला किसी कानूनी क्रियाओं में अथवा वाद में फंस गया हो तो उस विपरीत स्थिति में मौजूदा ट्रस्ट को समाप्त किया जा सकता है अथवा उसका विलय अन्य ट्रस्ट मे किया सकता है तथा सभी ट्रस्टीयो ने इस ट्रस्ट में जो भी अपना सहयोग धन व सम्पत्ति आदि से दिया है और विनियाजित किया है सबसे पहले उनको क्षतिपूर्ति सहित उनकी धनराशि व सम्पत्ति वापिस कर दी जायेगी एवं ट्ररटी यदि कोई सम्पत्ति अथवा धन आदि अपने निजी आय से खर्च करते हैं अथवा ट्रस्ट में दिया है ट्रस्ट के समाप्त होने पर उसे वापिस पाने के अधिकारी होंगे।

23. यह कि ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक अपनी सेवायें अथवा धन अथवा सम्पत्ति देना चाहता है परन्तु उद्देश्य की प्राप्ति की भावना विपरीत न हो तो अनुकूल शर्तों के आधीन उसकी सम्पत्ति धन व सेवायें ली जा सकती हैं और यदि वह सशर्त है तो उनका वापस भी किया जा सकता है और उनका लाभ भी यदि देय हो, तो ऐसा किया जा सकता है।

24. सभी प्रकार के विवादो के लिये क्षेत्राधिकार जनपद मुजफ्फरनगर मे होगा।

25. न्यास में जो भी कार्य करेंगे वह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समर्पण की भावना से किया गया कार्य माना जायेगा। तथा उस पर रोजगार आदि कानून लागू नहीं होंगे क्योंकि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 549721

:: 11 ::

ट्रस्ट सर्वाथ हितार्थ की भावना से तथा मिले हुये चंदे, दान व सशर्त मिली अनुदान निधि पर आधारित्त हैं।

साक्षी

मंगल सिंह
स्टाम्प विक्रेता
तह० मुजफ्फरनगर

साक्षी

तहरीर ता0 19-01-2010 ई0

ड्राफ्ट कर्ता:- सुरेश कुमार शर्मा एडवोकेट तहसील सदर मुजफ्फरनगर।

Suresh K. Sharma (Advocate)
Reg. No. 3124/1981
Tehsil Sadar Muzaffarnagar

15/1

स्टाम्प विक्रय की तिथि 19-1-10
स्टाम्प की क्रमांक संख्या 502
कमीशन ग्रहण 12 किया गया।

नरेन्द्र कुमार शर्मा (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेंस सं. 8
लाईसेंस की अवधि 31-3-2011

नरेन्द्र कुमार शर्मा
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

पक्षकार का नाम .... गोपालसिंह ....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम .... हरबीरी देवी ....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम ....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम ....

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					

आज दिनांक **19/01/2010** को

बही सं **4** जिल्द सं [redacted] 102

पृष्ठ सं **167** से **190** पर क्रमांक **7**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ऋषिकेश पाण्डेय

19/1/2010